

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : जनपद-देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदसू मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.61 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (online no. FP/UK/ROAD/126434/2021)

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक-8बी/यूसी०पी०/06/126/2021/एफ०सी०/1282, दिनांक 28.12.2021 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, ल००नि०वि०, देहरादून का पत्रांक-4320/25 सी, दिनांक 22.11.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/126434/2021 में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया गया है—


क्र. सं.	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	As per DSS analysis of the CA area which is proposed in Degraded Forest Land (DFL), the proposed area is overlapping with proposal no. FP/UK/Road/41707/2018. The State Govt is requested to change the area with some other area suitable for raising CA.	Now to be other suitable CA area proposed Uploaded online Part-I Para-L.
2	It is seen that justification uploaded online in Part-I is sketchy. It is requested to upload a clear/legibel scanned copy of the justification in Part-I mentioning the distance of the vellage from the existing road.	Now to be uploaded for clear Justification on online Part-I.
3	राज्य शासन लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी की जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।	लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी का प्रमाण-पत्र Additional information में अपलोड कर दी गई है।
4	In view of the point No. 01 above, if the revised CA area will be proposed in DFL. State Govt. is request to remove the details from para-L and Part-I which is designated for CA area proposed in Non-Forest Land.	CA land proposed for degraded forest land because non forest land is not available.

5	It is seen that details of 83 trees and 15 saplings found uploaded at para 4 in part-II. However, in प्रारूप-21 it is submitted that number of trees proposed to be felled are 37 in 7 mtr width. State Govt. may clarify.	उक्त विन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण ऑनलाईन अपलोड किया गया है। प्रस्ताव के प्रारूप-21 में तीन कक्षों (उ०विन्हार-1वी में 20 वृक्ष, उ०विन्हार-2 में 26 वृक्ष एवं उ०विन्हार-3 में 37 में कुल 83 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रों में 0-10 व्यास वर्ग के 15 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 98 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
6	It is seen that estimate of Rs. 22,22284/- uploaded for road side plantation. It is inform that only CA scheme is applicable.	Now to be uploaded only CA scheme in Additional Information.
7	Work not start certificate not found uploaded, which is required to be uploaded.	Now to be work not started certificate uploaded in Additional Information.
8	Site Inspection Report (SIR) or DFO and CF uploaded online are not legible and properly scanned. A clear/legible scanned copy of the SIR of DFO and CF is requested to be uploaded at designated places in Part II.	Site Inspection Report (SIR) की साफ प्रति ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जा रही है कि उक्त आख्या को अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।


संलग्नक : यथोपरि।

संवादीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू०सं० वन प्रभाग,
कालसी।

प्रतिलिपि : अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, ल००नि०वि०, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू०सं० वन प्रभाग,
कालसी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०, देहरादून



Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-mail: eeecd@rediffmail.com

पत्रांक- ५३२०/२५८८०

दिनांक - २२/११/२०२२

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी

विषय :- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भैर-काण्डोई-मदरू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु १.६१ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online no. FP/UK/Road/126434/2021)

सन्दर्भ:- १. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं० ४८ी/यू.सी.पी./०६/१२६/२०२१/एफ०सी०/१२८२ दिनांक २८/१२/२०२१।
२. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० ११९५/FP/UK/Road/126434/2021
३. प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की ऑनलाईन क्वायरी दिनांक ३१/१२/२०२१

महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है :-

क्र० सं०	आपत्तियां	निराकरण
१	As per DSS analysis of the CA are which is proposed in Degraded Forest Land (DFL), the proposed area is overlapping with proposal no. FP/UK/Road/ 41707/2019. The State Govt. is requested to change the area with some other area suitable for raising CA.	Now to be other suitable CA area proposed. Uploaded online Part-I Para-L.
२	It is seen that justification uploaded online in Part I is sketchy. It is requested to upload a clear/legible scanned copy of the justification in Part I mentioning the distance of the village from the existing road.	Now to be uploaded for clear justification on online Part-I.
३	राज्य लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी की जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।	लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी का प्रमाण पत्र Additional information में अपलोड कर दी गई है।
४	In view of the point No. 01 above, if the revised CA area will be proposed in DFL. State Govt. is request to remove the details from para L and Part I which is designated for CA area proposed in Non-Forest Land.	CA land proposed for degraded forest land because non forest land is not available.
५	It is seen that details of 83 trees and 15 saplings found uploaded at para 4 in part II. However, in प्रारूप-२१ it is submitted that number of trees proposed to be felled are 37 in 7 m width. State Govt. may clarify.	विन्दु संख्या ५ का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
६	It is seen that an estimate of Rs. 22,22,284/- uploaded for road side plantation. It is inform that only CA scheme is applicable.	Now to be uploaded only CA scheme in Additional information.
७	Work not start certificate not found uploaded, which is required to be uploaded.	Now to be work not started certificate uploaded in Additional information.
८	Site Inspection Report (SIR) of DFO and CF uploaded online are not legible and properly scanned. A clear/legible scanned copy of the SIR of DFO and CF is requested to be uploaded at designated places in Part II.	विन्दु सं० ८ का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीप,

(इ० राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०, देहरादून।